राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 166वीं बैठक के कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 166वीं बैठक **दिनांक 08.08.2025** को जयपुर में **श्री लाल सिंह**, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक के मुख्य अतिथि **श्री सुधांश पंत,** माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार रहे। **श्री एम. अनिल**, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान के संयोजन से आयोजित इस बैठक में श्री नवीन नाम्बियार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर, श्री भवानी सिंह देथा, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, श्री आलोक गुप्ता शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, श्री नवीन जैन, सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, श्री महेंद्र सोनी, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, सुश्री नेहा गिरी, राज्य परियोजना निदेशक, राजीविका, राजस्थान सरकार, श्री नीरज के. पवन, सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, डॉ आर. रवि बाबू , मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड जयपुर, श्री विकास अग्रवाल, उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर, श्री विजय राणा, उप-महाप्रबंधक, नाबार्ड जयपुर सहित केंद्र व राज्य के उच्चाधिकारियों, बीमा कम्पनियों तथा अन्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की गई। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्यों व राज्य सरकार के अधिकारी-गण, राजस्थान ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष, सभी बैंकर्स, बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं समिति की बैठक में शामिल समस्त अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 166वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन किया।

- उन्होने वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जून 2025 तक 161% तिमाही लक्ष्य एवं 40.09% वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने पर सभी बैंकों को बधाई दी एवं विश्वास व्यक्त किया गया कि वित्तीय वर्ष के अंत तक 100% लक्ष्य को पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा।
- उन्होने अवगत कराया कि अटल पेंशन योजना (APY) के तहत 30 जून 2025 तक 26% वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुए है, जो कि बैंकों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। पीएम सूर्यघर योजना में पिछले वर्ष जो प्रदर्शन हम पूरे वर्ष में प्राप्त कर पाए थे, उस स्तर को इस वर्ष मात्र तीन से चार माह में ही प्राप्त कर लिया है। DFS के निर्देशानुसार ब्रिक एंड मोर्टर की नयी शाखाओं को खोलने के संबंध में लंबित 8 शाखाओं में से 31 जुलाई 2025 तक 5 शाखाएँ खुल चुकी हैं ।
- उन्होने अवगत कराया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चल रहे वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत राजस्थान राज्य 5 अगस्त 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है।

उन्होने बैठक में सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा की उम्मीद व्यक्त की। तत्पश्चात उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने केंद्र व राज्य सरकार के सभी अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष, सभी बैंकर्स साथियों, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों और समिति की बैठक में पधारे सभी अतिथियों का मैं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 166वीं बैठक में हार्दिक स्वागत किया।

उन्होने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार (वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान) (Saturation Campaign) 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक पूरे देश में ग्राम पंचायत स्तर/शहरी स्थानीय निकाय पर चलाया जा रहा है। दिनांक 05.08.2025 तक अभियान की प्रगति एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राजस्थान राज्य राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम एवं तमिलनाडु राज्य तृतीय स्थान पर हैं। राजस्थान में यह अभियान संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है। चूँकि इस अभियान का केवल एक माह ही व्यतीत हुआ है और लगभग

दो माह का समय शेष हैं, अतः समन्वित प्रयासों के माध्यम से हम इसके और बेहतर परिणाम सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होने सूचित किया कि :-

- वित्तीय वर्ष 2025-2026 की जून तिमाही के अंत में राज्य के सभी बैंकों का कुल व्यावसाय रु 15.31 लाख करोड़ पहुंच गया है। बैंकों ने कुल जमा में 11.51% की Y-o-Y वृद्धि दर्ज की है और कुल अग्रिम में 13.07% की Y-o-Y वृद्धि दर्ज की है।
- राज्य का CD Ratio जून, 2025 तक **96.56%** है और यह RBI Benchmark से काफी ऊपर है। **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम** में **16.37%** की Y-o-Y वृद्धि हुई है। कृषि अग्रिम में **8.46%** एवं MSME अग्रिम में **23.35%** की क्रमश: Y-o-Y वृद्धि हुई है।
- वित्तीय वर्ष 2025-2026 की जून तिमाही तक **कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** में ACP के वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि **40.09%** रही है। ACP के तहत **MSME** में **45.63%**, **कृषि** में **35.56%** और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में **18.79%** उपलब्धि रही है। सभी बैंकों से वित्तीय वर्ष 2025-2026 में उचित कार्ययोजना बनाते हुए वार्षिक साख योजना के आवंटित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

उन्होने सभी बैंकों से निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध भी किया:

1. **KCC Saturation Drive** में सभी पात्र किसानों को फसल एवं पशुपालन हेतु KCC Card जारी करना।
2. **FI Saturation Drive** मे निर्धारित शिविरों का सफल आयोजन किया जाये एवं विशेष रणनीति के साथ अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर अभियान में लक्ष्यों को प्राप्त करना।
3. बैंकिंग सेवाओं से वंचित सभी पात्र व्यक्तियों का PMJDY खाते खोलना और उन्हे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं **(PMJJBY, PMSBY, APY)** से भी लाभान्वित करना।
4. **PMJDY** खातों में Rupay Card जारी करना, कार्ड एक्टिवेशन तथा आधार सीडिंग करवाना।
5. **KCC Saturation Drive** में सभी पात्र किसानों को फसल एवं पशुपालन हेतु KCC Card दिया जाना।
6. कृषि क्षेत्र में **Investment Credit** में 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करना।
7. विभिन्न **सरकारी योजनाओं** के तहत सभी लम्बित आवेदन पत्रों में समय पर ऋण वितरित कराना।
8. '**Digital** एवं **Financial Literacy** का प्रचार-प्रसार करना।
9. **PM Vishwakarma** योजना के तहत सभी लम्बित आवेदन पत्रों में समय पर ऋण वितरित कराना।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अंत में उन्होने **राजस्थान सरकार के पास समाधान हेतु लंबित बैंकों से संबन्धित मुद्दों** पर बैठक के दौरान राज्य सरकार से उचित समाधान प्राप्त होने की आशा व्यक्त की।

तत्पश्चात संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- उन्होने गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 की उपलब्धियों एवं विशेष रूप से सरकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए सभी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी एवं उम्मीद जताई कि चालू वर्ष मे भी राजस्थान सरकार प्रशासन को आपका पूरा सहयोग मिलेगा, ताकि प्रशासन राज्य के लाखों नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दे सकें।
- भारत सरकार के वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान (1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025) के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि इस अभियान में हम दूसरे महीने में प्रवेश कर चुके हैं और राज्य के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम आए हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में हम पहले स्थान पर हैं, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में 5 अगस्त तक देश में पांचवें स्थान पर हैं। लेकिन अन्य योजनाओं में, जैसे अटल पेंशन योजना, जन धन योजना खाते आदि में हालांकि कोई रैंकिंग नही की हैं फिर भी हमें सभी मापदंडो में सुधार करने की आवश्यकता है।

- उन्होने समिति को बताया कि अभियान में आंकड़ों के साथ-साथ उन लोगों को भी देखना चाहिए, जो नाममात्र राशि देकर बीमा प्राप्त करते हैं—ये अधिकतर गरीब परिवार होते हैं, जिनमें शायद एक ही कमाने वाला सदस्य होता है। ऐसे में किसी दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में यह बीमा उनके लिए बड़ी राहत है। संतृप्ति अभियान में यदि हम सभी को कवर कर पाते हैं, तो यह न केवल लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, बल्कि वास्तविक संतुष्टि भी मिलेगी। उन्होने सभी बैंकों—निजी क्षेत्र के बैंकों सहित—से अनुरोध किया कि ये योजनाएँ आम नागरिक के लिए बहुत बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं, इसलिए उन्होने सभी बैंकों से इन योजनाओं में यथासंभव अधिक भागीदारी करने का आग्रह किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- जन धन खातों में पिछले 3-4 महीनों में लगभग 2 लाख नए खाते जोड़े गए हैं एवं आधार सीडिंग 93% तक पहुँची है, जो एक बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन कुछ राज्यों ने 97-98% से भी अधिक आधार सीडिंग प्रतिशत हासिल कर लिया है। यथार्थवादी त्रैमासिक लक्ष्य तय कर के हमें धीरे-धीरे आधार सीडिंग प्रतिशत को 100% तक ले जाना चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- रुपे डेबिट कार्ड की स्थिति लगभग 74% है, इसमें भी सुधार की गुंजाइश है। सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना में कुल नामांकन क्रमशः 2.7 करोड़ और 1.2 करोड़ तक पहुँच चुका है, जो कि एक बेहतर प्रदर्शन है लेकिन अभी भी राज्य के कई लोग इससे वंचित हैं।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- उन्होने अटल पेंशन योजना में निजी बैंकों के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया एवं अवगत कराया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 मे अप्रैल से जून की पहली तिमाही में वार्षिक लक्ष्य 7 लाख के सापेक्ष लगभग 1.8 लाख का स्तर सभी बैंको ने प्राप्त किया है। इसमें भी सार्वजनिक और निजी बैंकों के बीच बड़ा अंतर है—सरकारी बैंको का प्रदर्शन औसतन 22% है, जबकि निजी बैंको का प्रदर्शन केवल 11% है । इसलिए उन्होने आग्रह किया कि निजी बैंक भी सरकारी योजनाओं में अपनी भागीदारी और प्रतिबद्धता को बढ़ाएँ, विशेष रूप से उन योजनाओं में जो वंचित वर्ग के लिए हैं। उन्होने कहा कि निजी बैंकों के अपने व्यावसायिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

(कार्यवाही: समस्त निजी बैंक)

- उन्होने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राज्य की महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है, जो छोटे स्तर पर उद्योग चला रही हैं। उन्होने महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों की सराहना करते हुए बताया कि वे इस क्षेत्र मे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं एवं कई प्रकार की गतिविधियाँ चला रही हैं। उन्होने सभी बैंको से स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं को उनके व्यावसाय की कार्यशील पूंजी एवं उत्पादों के विपणन मे सहयोग देने का आग्रह किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- उन्होंने PM AJAY, BRUPY, MNSUPY एवं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना मे सभी बैंकों के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया एवं सभी बैंकों से आग्रह किया कि इन योजनाओं मे अपने प्रदर्शन मे सुधार करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- उन्होंने भारत सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में अवगत कराया और कहा कि यह योजना छोटे कारीगरों, कुशल श्रमिकों, सुनार, बढ़ई, दर्जी, और अन्य छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए है, ताकि वे अपनी आजीविका सुधार सकें। इस योजना में राजस्थान में काफी आवेदन आए हैं परंतु अभी बैंकों का प्रदर्शन आवेदनों के सापेक्ष कम है। उन्होंने सभी बैंकों से इस योजना में बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुरोध किया एवं बताया कि हर महीने प्रधानमंत्री जी की '**प्रगति**' बैठक होती है, जिसमें सभी मुख्य सचिव और भारत सरकार के अन्य विभागों के सचिव शामिल होते हैं, और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उसमें स्थायी एजेंडा होती है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- पीएम सुर्यघर मुफ़्त बिजली योजना में राजस्थान की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन हम अभी भी देश में 5वें स्थान पर हैं, जबकि हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण हमें पहले स्थान पर होना चाहिए। उन्होंने निजी सोलर कंपनियों के साथ सभी बैंकों को मिलकर इस योजना को तेज़ी से काम करने का आग्रह किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- उन्होंने PMFME, मुद्रा योजना एवं ग्रामीण आजीविका मिशन योजनाओं के बारे में चर्चा की एवं बताया कि राज्य में इन योजनाओं में सभी बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम हैं एवं प्रदर्शन में सुधार के लिए आग्रह किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- उन्होंने कहा कि कि वर्तमान में लगभग 1.28 लाख बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BCs) उपलब्ध हैं, जिनमें से लगभग 36,000 का ही प्रमाणीकरण (Certification) हुआ है। यह आवश्यक है कि शेष BCs का भी शीघ्र प्रमाणीकरण (Certification) कर कार्यशील बनाया जाए।
- उन्होंने यह भी कहा कि एक BC की औसत मासिक आय मात्र रु. 700 है, जो जीविका के लिए अपर्याप्त है। जब तक उनकी आय रु. 5000–रु. 6000 प्रतिमाह तक नहीं पहुँचती, तब तक यह कार्य आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं होगा। अतः BCs की आय बढ़ाने हेतु ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, ताकि वे पूर्णकालिक रूप से वित्तीय प्रणाली में योगदान दे सकें। उन्होंने सभी बैंकों से बीसी के प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा करने का आग्रह किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- राजस्थान सरकार ने DFS भारत सरकार के सहयोग से एक महत्वपूर्ण परियोजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत चार क्रेडिट लिंक योजनाओं को जन समर्थ पोर्टल पर सम्मिलित करने कि पहल की है। राज्य सरकार के द्वारा इसे 90 दिवसीय पायलट आधार पर लॉन्च किया गया है तथा एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स इसके एकीकरण पर कार्य कर रही है। सभी विभागों एवं बैंकों से अनुरोध किया गया कि 25 जुलाई 2025 को DFS भारत सरकार के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित करें, ताकि जन समर्थ पोर्टल पर राज्य की योजनाओं का सफल एकीकरण हो सके।

(कार्यवाही: राज्य सरकार के संबन्धित विभाग एवं समस्त सदस्य बैंक)

- अग्रणी जिला प्रबन्धक (LDMs) बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला कलेक्टरों एवं जिला परिषद के CEOs से अपेक्षित है कि वे LDMs के साथ समन्वय बढ़ाएँ तथा नियमित जिला स्तरीय बैठकें आयोजित करें। यह भी अनुरोध किया गया कि यदि किसी जिले में कलेक्टर अपेक्षित रुचि नहीं ले रहे हैं, तो इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

- बैंक शाखाओं में लंबित एवं अस्वीकृत आवेदनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान चल रहा है, अतः यह उपयुक्त समय है कि लंबित आवेदनों का गुणात्मक आधार पर शीघ्र निपटारा किया जाए। जो आवेदन स्वीकृत हो सकते हैं, उन्हें स्वीकृत किया जाए तथा जो पात्रता नहीं रखते, उन्हें अस्वीकृत किया जाए—परंतु किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न छोड़ा जाए।
- पिछली बैठक में आवेदनों के निपटारे समय सीमा में करने का सुझाव दिया गया था। सभी बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे समय सीमा अवधि में कम-से-कम 95% आवेदन निपटाएँ; यदि निपटान दर 60% के आसपास है तो तत्काल सुधार के प्रयास किए जाएँ। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि लंबित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा कर उन्हें प्राथमिकता से निपटाएँ।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- पिछली SLBC बैठक में चिन्हित आठ स्थानों में से पाँच पर ब्रिक एंड मोर्टार शाखाएँ खोली जा चुकी हैं तथा अब केवल तीन स्थान शेष हैं। DFS द्वारा उपलब्ध कराई गई 73 गाँवों की सूची में से 40 गाँव पहले से ही पाँच किलोमीटर की परिधि में शाखा होने के कारण कवर हो चुके हैं, शेष 33 गाँवों में शाखाएँ स्थापित की जानी हैं। यदि यह कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाता है, तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- संपर्क पोर्टल पर अग्रणी जिला बैंक मे लगभग 139 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें से 118 शिकायतें 30 दिन से कम तथा 21 शिकायतें 31–45 दिन की अवधि के हैं। आयोजना विभाग में 43 और PMO/राज्यपाल/मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित 34 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें केवल 3 शिकायतें 30 दिन से अधिक पुरानी हैं। यह संतोषजनक है कि कोई भी शिकायत 45 दिन से अधिक लंबित नहीं है। तथापि, 30–45 दिन श्रेणी की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाकर सभी का 30 दिन के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी जिला बैंक, समस्त सदस्य बैंक एवं आयोजन विभाग राजस्थान सरकार)

- सभी बैंकों एवं अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों से पिछले वर्ष विशेषकर Saturation Campaign के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने आग्रह किया गया कि भविष्य में भी कार्य करते समय केवल आँकड़ों पर नहीं, बल्कि लाभार्थियों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने जन-धन योजना जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि इनसे बैंकिंग एवं डिजिटल क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है।
- उन्होंने सभी बैंकों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित आगामी दो प्रमुख आयोजनों—National University Games (नवंबर 2025) तथा कृषि-सहायक क्षेत्र से संबन्धित GRAM (जनवरी 2026)—में सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता करने का अनुरोध किया गया। अंत में, सभी बैंकों को उनके योगदान हेतु धन्यवाद दिया तथा आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन हेतु शुभकामनाएँ दी।
- उन्होनें आयोजना विभाग राजस्थान सरकार को आग्रह किया कि वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान में विभाग, पंचायती राज विभाग को भी अभियान से जुड़नें का अनुरोध करें जिससे यह अभियान अधिक प्रभावी होगा एवं संदेश ज़मीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुँच पाएगा।

(कार्यवाही: आयोजन विभाग राजस्थान सरकार)

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों को अब लगभग 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं एवं विनियामक आवश्यकता के अनुसार इन खातों का Re-KYC किया जाना ज़रूरी है। यह प्रक्रिया न केवल खातों की सुरक्षा के लिए अहम है, बल्कि इसके माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों से पुनः जुड़कर उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में और सशक्त बना सकते हैं। यह भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन दृष्टिकोण का एक मुख्य उद्देश्य है।
- राजस्थान इस अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है, लेकिन यदि हम राज्य की जनसंख्या और घनत्व को देखें, तो वास्तव में राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है।
- इस अभियान में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी ग्राहक, चाहे कितना भी दूरस्थ या अनुत्तरदायी क्यों न हो, पुनः KYC पूरा न होने के कारण पीछे न छूटे।
- इस अभियान मे कुल निर्धारित समय का लगभग 40% भाग बीत चुका है और अभी तक केवल 10% लक्ष्य हासिल हुआ है, यानी 90% ग्राहक अभी भी Re-KYC से बाहर हैं जिसके लिए शेष समय में सभी बैंकों को तेज़ी से कार्य करना होगा। लक्ष्यों के आधार पर औसतन प्रत्येक शाखा को प्रतिदिन कम से कम 50 ग्राहकों को री-KYC से जोड़ना चाहिए, परंतु कुछ बैंकों के अभियान में प्रदर्शन के आधार पर यह संख्या 100 ग्राहकों से भी अधिक होनी चाहिए। पिछले सात दिनों में अभियान के प्रदर्शन की 50% प्रगति दर्ज की गई है, जो एक सकारात्मक संकेत है और यह दर्शाता है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना संभव है। बैंक अपनी शाखाओं अथवा कैंप तथा BCs के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क स्थापित कर Re-KYC पूर्ण करें।

(कार्यवाही: एसएलबीसी, समस्त सदस्य बैंक)

- इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने BC नेटवर्क को मज़बूत बनाना होगा—सिर्फ़ संख्या के हिसाब से नहीं बल्कि गुणवत्ता के लिहाज़ से भी। बैंकों को BC नेटवर्क में निवेश करना चाहिए और इसे व्यय नहीं बल्कि निवेश के रूप में देखना चाहिए। हमारे अध्ययन के अनुसार लगभग 15% ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ 5 किलोमीटर की परिधि में कोई BC उपलब्ध नहीं है, और राजस्थान के बॉटम क्वार्टाइल के ब्लॉक्स में यह स्थिति लगभग 30% तक है। अतः मैं सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों से अनुरोध करता हूँ कि BCs की गुणवत्ता और संख्या दोनों में सुधार करें एवं BCs की पारिश्रमिक व्यवस्था को भी बेहतर बनाएं।

- **(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

- इस वर्ष की जून तिमाही में जमा (Deposits) की वृद्धि प्रतिशत पिछले साल की पहली तिमाही की तुलना में लगभग तीन गुना रही है। यह प्रारम्भिक संकेत है कि ब्रांच अथवा BC नेटवर्क में किया गया निवेश भविष्य में

अच्छे परिणाम देगा। अतः सभी बैंकों से अनुरोध है कि ब्रांच अथवा BC नेटवर्क में इन्वेस्ट करें जिससे Re-KYC अभियान को गति मिले और लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- जनधन अभियान में एक आकर्षक तत्व (पुल फ़ैक्टर) था, किन्तु Re-KYC अभियान में एक संवाद (nudge फ़ैक्टर) की जरूरत है। ग्राहकों को आश्वस्त करने की आवश्यकता है, जिसके लिए बैंकों को क्षमताएं विकसित करनी चाहिए। यदि बैंक यह अग्रसक्रिय रूप से नहीं करेंगे, तो ग्राहकों के शिकायत निवारण (grievance-redressal) में बैंकों का समय जाया होगा और आखिरकार बैंकों की लागत ही बढ़ेगी। इससे म्यूल अकाउंट होने के खतरे को भी नजरंदाज़ नहीं किया जा सकता।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- हाल ही में साइबर धोखाधड़ी और मनी म्यूल अकाउंट्स जैसी चुनौतियाँ सामने आई हैं। यह अभियान इन समस्याओं को रोकने में भी सहायक हो सकता है।
- मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे इलेक्ट्रोनिक बेनिफिट ट्रांसफर (EBT) अथवा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लाभार्थियों को SMS के माध्यम से सूचित करें कि सरकारी योजनाओं के अनवरत लाभ हेतु अपने खातों का पुनः KYC तुरंत करवाएँ। केवल एक दिन कैंप करने से Re-KYC अभियान का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, अपितु यह पूरे तीन महीने अनवरत किया जाना है। इसलिए मैं बैंकों से भी आग्रह करता हूँ कि वे इस अभियान के लिए ठोस रणनीति बनाएं और एक मीडिया प्लान तैयार करें, जिससे ग्राहकों तक Re-KYC और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ प्रभावी ढंग से पहुँचाए जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं संबन्धित राज्य सरकार विभाग)

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- उन्होंने भारत सरकार के वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान में राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान के लिए संतोष व्यक्त किया एवं कहा कि राजस्थान सरकार के सभी संबंधित विभागों को बैंकों के साथ मिलकर उन क्षेत्रों पर काम करना चाहिए जहाँ हम पीछे हैं, और राज्य को पहले स्थान पर लाने का प्रयास करना करना चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं संबन्धित राज्य सरकार विभाग)

- ज़िला स्तर पर BLBC और DLRC जैसी व्यवस्थाएँ हैं। जिनके स्तर से सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में किस बैंक की कौन-सी शाखा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है।
- उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि सभी बैंक ये सुनिश्चित करें कि BC कोऑर्डिनेटर अपने BCs को नियमित प्रशिक्षण दें। उन्होंने सभी बैंकों से BCs का पारिश्रमिक बेहतर करने का अनुरोध किया क्योंकि BC की आय कम होगी तो संभावना है कि वह गाँव के लोगों से गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेगा, जिससे शिकायतें, वाणिज्यिक धोखाधड़ी और बैंकिंग फ्रॉड बढ़ सकते हैं।
- उन्होंने सभी बैंकों को वार्षिक साख योजना (ACP) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया एवं कहा कि पिछले वर्ष अच्छा प्रदर्शन हुआ है और इस वर्ष भी सभी बैंक ACP में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।
- उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि अगर प्रशासनिक संबंधी कोई समस्या आती है तो कृपया उस समस्या को संबंधित सरकारी विभाग के संज्ञान में लाएँ।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- चालू वित्तीय वर्ष में वार्षिक साख योजनान्तर्गत उपलब्धि के लिए सभी बैंकों की सराहना की एवं कहा कि राजस्थान में सभी बैंकों ने बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। पिछले वर्ष, एसीपी लक्ष्य के मुकाबले 94% उपलब्धि हासिल हुई और इस वर्ष, पहली तिमाही में ही हमने वार्षिक लक्ष्य का 40% हासिल कर लिया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने सभी बैंकों से वित्तीय वर्ष 2025-2026 के वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का आग्रह किया।

- सभी बैंकों से आग्रह किया कि उन अंतिम हितधारकों को ध्यान में रखें, जो ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार के हैं और जिन्हें आजीविका सुरक्षा तथा सामुदायिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है।
- सभी बैंकों से वित्तीय समावेशन के प्रयासों मे गति लाने का अनुरोध किया जिसमें वित्तीय समावेशन के लिए विशेष अभियान चलाना, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी कैम्प का आयोजन करना, बीसी मॉडल को अधिक प्रभावशील बनाना आदि शामिल है।
- उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे भारत सरकार और राजस्थान सरकार की योजनाओं का अधिकतम उपयोग करके राज्य में ऋण के प्रवाह मे वृद्धि करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- उन्होंने समिति को अवगत कराया कि राजस्थान सरकार के साथ मिलकर किए गए संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि जल संसाधन, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, वाटरशेड तथा जनजातीय विकास परियोजनाओं के कार्यान्वियन से ऋण अवशोषण क्षमता (credit absorption capacity) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नाबार्ड द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में पाँच गुना तक ऋण प्रवाह की वृद्धि दर्ज की गई है अत: इन परियोजनाओं एवं नहर कमांड क्षेत्रों की संभावनाओं का लाभ उठाकर सभी बैंकों के द्वारा राज्य में ऋण प्रवाह को और गति दी जा सकती है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि SHG, FPO एवं JLG जैसी योजनाओं का अधिकतम वित्तपोषण कर राज्य में ऋण प्रवाह को गति प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- राजस्थान सरकार की सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण की पहल का उल्लेख किया। नाबार्ड की सहभागिता से अब तक 6781 समितियों का डिजिटलीकरण किया गया है, जिनमें से लगभग 5500 समितियाँ लाइव होकर डिजिटल माध्यम से कार्यरत हैं जिसके कारण सहकारी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।
- राज्य में लघु सिंचाई पहलों को सशक्त बनाने की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। यहाँ मोटा अनाज, दालें और तिलहन जैसी फसलें अच्छी मात्रा में पैदा होती हैं, लेकिन प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की कमी के कारण किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में ज़रूरी है कि सभी बैंकों के द्वारा पूरे कृषि मूल्य श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए वित्तपोषण की व्यवस्था की जाए, ताकि उत्पादक से लेकर बाजार तक हर स्तर पर लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- राज्य में लघु सिंचाई पहलों, कृषि मूल्य श्रृंखला के संपूर्ण वित्तपोषण और संस्थागत ढाँचे जैसे एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और महिला समूहों के माध्यम से आजीविका को मज़बूत करने की अपार संभावनाएँ हैं। राजस्थान सरकार की योजनाएँ जैसे मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना आदि का लाभ उठाकर कृषि आधारित उद्यमों को गाँव स्तर पर ही विकसित करना चाहिए, ताकि उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन का पूरा चक्र स्थानीय स्तर पर सम्पन्न हो। इससे स्थानीय आर्थिक चक्र को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को अधिक लाभ होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था भी सशक्त बनेगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की अपार संभावनाओं से अवगत कराया एवं कहा कि राज्य का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा कठिन भूभाग और रेगिस्तानी क्षेत्र से घिरा हुआ है, जो इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। हालाँकि, इसे आगे बढ़ाते समय पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम रखना और प्राकृतिक वनस्पति को बिना क्षति पहुँचाए विकास का मार्ग तलाशना आवश्यक होगा।

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मंचासीन सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया।

Confirmation of Minutes of 165th SLBC Meeting

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम बताया कि दिनांक 13.05.2025 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 22.05.2025 को समस्त हितधारकों को प्रेषित किए गए कार्यवृत्त की पुष्टि किए जाने का अनुरोध किया। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों ने कार्यवृत की पुष्टि की।

Action Taken Report

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने 165 वीं एसएलबीसी की बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं (ATRs) के संबंध में हुई अद्यतन कार्यवाही से सदन को अवगत करवाया।

Agenda No 1 - Banking at a glance in Rajasthan

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सभी मापदण्डों में प्रगति निम्नानुसार रही है-

- ➢ राज्य में मार्च 2025 के सापेक्ष शाखाओं की संख्या में 119 की वृद्धि के साथ कुल 9276 शाखाएँ कार्यरत हैं, जिनमे से 66.62 % शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।
- ➢ राज्य में जून 2025 का CD Ratio 96.56% रहा है।
- ➢ विभिन्न क्षेत्रों में अग्रिम की Y-O-Y वृद्धि निम्नानुसार रही है-
    - Deposits- 11.51%
    - Advances- 13.07%
    - Priority Sector Advances-16.37%
    - Agriculture advances-8.46%
    - MSME Advances-23.35%

Achievement against stipulated benchmark as on 30 June 2025

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि-

- ➢ राज्य में सीडी अनुपात में **1.34%** की Y-O-Y वृद्धि हुई है।
- ➢ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया में **रु. 65,021 करोड़** की Y-O-Y वृद्धि हुई है।
- ➢ कृषि क्षेत्र के बकाया में **रु. 14,482 करोड़** की Y-O-Y बढ़ोतरी हुई है।
- ➢ MSME के अंतर्गत माइक्रो श्रेणी के खातों में **रु 23,737 करोड़** की Y-O-Y बढ़ोतरी हुई है।
- ➢ एमएसएमई के खातों की बकाया राशि में **रु. 41,922 करोड़** की Y-O-Y बढ़ोतरी हुई है।

Agenda 2 - Districts wise CD Ratio in Rajasthan

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि-

- ➢ राज्य के सभी जिलों का साख जमा अनुपात (CD Ratio) 50% से अधिक हो गया है।
- ➢ राज्य मे साख जमा अनुपात (CD Ratio) 70% से कम वाले जिले यथा अजमेर जिला, राजसमंद जिला, डूंगरपुर जिला एवं सिरोही जिला है।

(कार्यवाही: समस्त डीसीसी संयोजक बैंक)

उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- CD Ratio के तहत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले 10 ब्लॉक में भी संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धक द्वारा उचित कार्ययोजना को अपनाया जाए।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, बलोतरा, ब्यावर, डिडवाना-कूचामन, डूंगरपुर, जयपुर, जालौर, पाली, फलोदी, राजसमंद, सलूम्बर एवं उदयपुर)

Agenda 3 - Comparative Development of Rajasthan from June 2024 to June 2025

प्रमुख सचिव, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), अटल पेंशन योजना (APY) तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) को शुरू हुए 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, फिर भी हम अभी संतृप्ति (saturation) से काफी पीछे हैं। अतः सभी बैंकों से आग्रह है कि भारत सरकार के वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान में बेहतर प्रदर्शन करें।। इन सभी योजनाओं के आँकड़े राजस्थान राज्य में

प्रति एक लाख जनसंख्या के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धियों पर आधारित हैं। उन्होंने आग्रह किया कि प्रत्येक योजना के लिए पात्र जनसंख्या का आकलन किया जाए तथा उसी के अनुपात में उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- अटल पेंशन योजना (APY) की उपलब्धि का मूल्यांकन करते समय उन लाभार्थियों के आँकड़े भी सम्मिलित किए जाएँ जिन्होंने बीच में यह योजना छोड़ दी है तथा यह विश्लेषण किया जाए कि अब तक कितने लाभार्थी योजना से बाहर हुए हैं।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

Agenda 4 - Deposit to Income Ratio (per Capita) of Rajasthan as on 30 June, 2025

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य में Deposit to Income Ratio (per Capita) की ज़िले-वार स्थिति से सदन को अवगत करवाया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंकों एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि वे सभी अधिक-से-अधिक जमा संग्रहण करने हेतु कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

Agenda 5 - Annual Credit Plan F.Y. 2025-2026

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि वार्षिक साख योजना 2025-2026 हेतु निर्धारित लक्ष्य **रु. 4,04,002 करोड़** के सापेक्ष 30 जून, 2025 तक क्षेत्र-वार वार्षिक लक्ष्यों के पेटे उपलब्धि निम्नानुसार रही हैं-

- कृषि क्षेत्र- 35.56%
- MSME क्षेत्र- 45.63%
- अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 18.79%
- कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 40.09%

Banks having performance below 30% under Annual Credit Plan (ACP) during F.Y. 2025-2026 (upto 30 June, 2025)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जून 2025 तक **30%** से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा पंजाब एंड सिंध बैंक (2.04%), इंडियन बैंक (10.45%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (10.56%), इंडियन ओवरसीज बैंक (12.95%), एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक (19.39), इंडसइंड बैंक (22.33), यूको बैंक (22.57%), केनरा बैंक (24.09%), पंजाब नैशनल बैंक (25.32%) एवं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (26.33%) से चालू वित्तीय वर्ष में उचित कार्ययोजना बनाकर कार्य किए जाने का अनुरोध किया ताकि वार्षिक साख योजनान्तर्गत लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि हो सके।

(कार्यवाही: पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक, इंडसइंड बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नैशनल बैंक एवं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक)

प्रमुख सचिव, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- उन्होंने उन बैंकों से, जिनका एसीपी लक्ष्य की प्राप्ति 30 प्रतिशत से कम रही है, प्रदर्शन में सुधार करने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का आग्रह किया।

(कार्यवाही: पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक, इंडसइंड बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नैशनल बैंक एवं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक)

प्रतिनिधि, केनरा बैंक ने सूचित किया कि वे अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे, कमियों पर कार्य करेंगे और लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिनिधि, पंजाब नैशनल बैंक ने समिति को अवगत कराया कि लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का मुख्य कारण कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन है, जो कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बड़ी संख्या में होते हैं। उन्होंने आने वाले तिमाहियों में लक्ष्य उपलब्धि में बेहतर प्रदर्शन के लिए समिति को आश्वस्त किया।

Agenda 6 - Agency-wise Investment Credit as a Percentage of Agriculture Profile (as on 30.06.2025)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि-

- दिनांक 30.06.2025 तक वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों का कुल बकाया कृषि अग्रिम के सापेक्ष बकाया कृषि निवेश ऋण क्रमशः **38.11%, 9.59%, 7.75%** एवं **99.39%** हैं।
- दिनांक 30.06.2025 तक राज्य के कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की प्रतिशत **(32.49%)** से कम प्रतिशत वाले बैंकों यथा राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक (4.01%), राजस्थान ग्रामीण बैंक (RMGB 4.70%, BRKGB 11.68%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (9.16%), यूको बैंक (13.97%), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (14.31%), पंजाब एण्ड सिंध बैंक (14.57), पंजाब नैशनल बैंक (15.93%), आईडीबीआई बैंक (16.32%), केनरा बैंक (17.98%), इंडियन बैंक (19.92%), बैंक ऑफ बड़ौदा (25.83%) एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (27.88%) से अनुरोध है किया कि कुल कृषि ऋण में कृषि निवेश ऋण प्रतिशत बढ़ाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में उचित कार्ययोजना बनाते हुए अग्रिम कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

प्रमुख सचिव, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- उन्होंने राजस्थान सहकारी बैंक तथा राजस्थान ग्रामीण बैंक से अनुरोध किया कि कृषि क्षेत्र में निवेश ऋण को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: राजस्थान सहकारी बैंक तथा राजस्थान ग्रामीण बैंक)

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड की टिप्पणी**-** उन्होंने बैठक में यह अवगत कराया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) एवं सहकारी बैंक अल्पावधि ऋण के लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त कर रहे हैं। तथापि, दीर्घावधि ऋण में सुधार की आवश्यकता है, विशेषकर निवेश ऋण के अंतर्गत। इस उद्देश्य हेतु बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे क्षेत्र-विशिष्ट विकास योजनाएँ (Area Development Schemes) तैयार करें, जिनमें कृषि से संबंधित सहायक गतिविधियों को लक्षित किया जा सके। साथ ही यह भी आश्वस्त कराया कि आवश्यकता पड़ने पर क्षमता निर्माण (Capacity Building) हेतु लखनऊ स्थित ग्रामीण विकास बैंकर्स संस्थान (Bankers Institute of Rural Development) में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों के लिए नि:शुल्क विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

Agenda 7 – Financial Inclusion

Setting up of Brick-and-Mortar Branches Status as on 31.07.2025

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि निदेशक (वि.स.), वित्तीय सेवाऐं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य में 118 केंद्रों में विभिन्न बैंकों को ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने हेतु आवंटित किया गया है। जिनमें से दिनांक 31.07.2025 तक 3 केंद्रों पर ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलना लंबित है।

प्रतिनिधि, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक ने सूचित किया कि हमने सेवारिया स्थान पर शाखा खोलने के लिए उपयुक्त संपत्ति का चयन किया है, परंतु मकान मालिक के पास पट्टा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण हम लीज एग्रीमेंट निष्पादित नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय में हमने ग्राम पंचायत से संपर्क किया, किंतु पंचायत ने बताया कि पंचायती राज विभाग के एक परिपत्र के अनुसार वे स्थानीय स्तर पर पट्टा जारी नहीं कर सकते। इसके बाद हमने जिला कलेक्टर से शाखा हेतु सरकारी भवन/परिसर उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया। परंतु प्राप्त सूचना के अनुसार, उनके पास कोई उपयुक्त सरकारी

परिसर उपलब्ध नहीं है। इस परिस्थिति में हमने पुनः संबंधित मकान मालिक को पट्टा जारी करवाने का अनुरोध किया ताकि निर्धारित स्थान पर बैंक शाखा खोले जाने का कार्य आगे बढ़ सके।

प्रमुख सचिव, राजस्थान सरकार ने एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक को आश्वस्त किया एवं शाखा खोलने हेतु आयोजना विभाग को ब्यावर कलेक्टर से इस विषय में बातचीत करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में लगभग 12,000 भवन ऐसे हैं जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, और सम्भावना है कि संबंधित ग्राम में भी कोई भवन उपलब्ध हो। इस संदर्भ में अनुरोध किया गया कि इन अनुपयोगी भवनों की सूची SLBC राजस्थान को उपलब्ध करवाई जाए, ताकि इन भवनों में नवीन शाखाएँ खोलने या स्थानांतरित करने की संभावना पर विचार किया जा सके।

(कार्यवाही: शासन सचिव, आयोजन विभाग, राजस्थान सरकार)

Financial Inclusion (Unbanked Villages updation on JDD App)

उप महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग**,** वित्त मंत्रालय**,** भारत सरकार द्वारा बैंकिंग आउटलेट खोलने हेतु **73 unbanked** ग्रामों की सूची प्रदान की गयी है जिसे एसएलबीसी द्वारा ई-मेल दिनांक **29.05.2025** के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विभिन्न बैंकों को प्रेषित किया गया है तथा

- उक्त बैंकों से लंबित आवंटित केन्द्रों पर अतिशीघ्र बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होने बताया कि **73** गांवों में से **40** गांवों में पहले से ही **5** किलोमीटर के भीतर शाखाएं हैं जिनको जेडीडी पोर्टल पर अपडेट करने की आवश्यकता है एवं **40** गांवो मे से **32** को जेडीडी पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है।
- शेष **33** गांवों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों ने सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है**,** जिसमें बताया गया है कि चिन्हित स्थानों पर शाखा खोलना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार के वित्तीय सेवाएँ विभाग (**DFS)** के आदेशानुसार इन स्थानों पर शाखाएँ अनिवार्य रूप से खोली जानी है अत: इन सभी बैंकों से अनुरोध है कि अपने निर्णय पर पुन: विचार करें।

(**कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा**, **बैंक ऑफ इंडिया**, **केनरा बैंक**, **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**, **एचडीएफ़सी बैंक**, **आईसीआईसीआई बैंक**, **आईडीएफ़सी बैंक**, **राजस्थान ग्रामीण बैंक**, **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**, **यूको बैंक)**

Inactive Fixed Point BC data

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि फिनो पेमेंट्स बैंक (77.82%)**,** केनरा बैंक (56.76%)**,** आईपीपीबी (31.60%)**,** आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक (18.60%)**,** यूको बैंक (16.22%), एचडीएफसी (15.06%) एवं एयरटेल पेमेंट्स बैंक (12.23%) का राज्य में BC inactivity प्रतिशत 10% से अधिक है। उक्त बैंकों से अनुरोध है कि असक्रिय BCs को अतिशीघ्र सक्रिय BCs से प्रतिस्थापित करते हुए BC inactivity प्रतिशत 5% से कम करें तथा नए बीसी पाइंट स्थापित करने की कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: फिनो पेमेंट्स बैंक, **केनरा बैंक**, **यूको बैंक**, **आईपीपीबी**, **आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक**, **एचडीएफसी बैंक एवं एयरटेल पेमेंट्स बैंक)**

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि नए बीसी (BCs) के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था करें तथा कार्यरत बीसी को समय-समय पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण देकर उन्हें अपडेट करते रहें। साथ ही, सभी बैंकों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि बीसी मॉडल को और अधिक व्यवहारिक एवं कारगर कैसे बनाया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बीसी बैंकिंग सेवाओं की पहुँच और सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रतिनिधि, **केनरा बैंक** ने सूचित किया कि इस विषय में हमने हमारें हेड ऑफिस को भी अवगत कराया है एवं इस संबंध में कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। हेड ऑफिस ने नये **BCs** के लिए एक एजेंसी को भी नियुक्त किया है साथ ही**,** शाखाओं को भी नये बीसी की पहचान करने के लिए निर्देशित किया गया है। 84 निष्क्रिय बीसी में से लगभग 30 को हमने बदल दिया है। हम समिति को आश्वस्त करते है कि आने वाले 10 दिनों में हम सभी बीसी को सक्रिय कर लेंगे।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने समिति को यह अवगत कराया कि फिनो पेमेंट बैंक के निष्क्रिय बीसी की संख्या पिछली तिमाही की बैठक के समान ही बनी हुई है। यह स्थिति आरबीआई के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है तथा इस विषय को आरबीआई के हेड ऑफिस तक अग्रेषित करना होगा क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता कि ये संख्याएँ यथावत बनी रहें।

(कार्यवाही: फिनो पेमेंट्स बैंक)

प्रतिनिधि, **फिनो पेमेंट्स बैंक** ने अवगत कराया कि आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा चुके हैं तथा हेड ऑफिस को भी सूचित कर दिया गया है। साथ ही यह आश्वासन दिया कि इस विषय मे आवश्यक संशोधन बैंक की तरफ से शीघ्र ही किए जाएंगे।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने भारत सरकार के वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु बीसी की आवश्यकता पर जोर दिया एवं कहा कि बीसी ही वह माध्यम हैं जिससे अभियान में पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि केवल बैंक शाखाओं की गतिविधियाँ ही पर्याप्त नहीं होंगी। इसीलिए उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि अपने बीसी नेटवर्क को तत्काल सक्रिय करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी बीसी अभियान में सक्रिय योगदान दें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Financial Inclusion (Strategic Framework for BC Deployment)

उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि-

- भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर द्वारा ग्रासरूट स्तर पर बीसी सेवाओं की उपलब्धता पर एक अध्ययन किया गया हैं। राजस्थान के 11 सबसे पिछड़े ब्लॉक्स (प्रति परिवार कुल जमा राशि के मानक पर) में किए गए इस सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 30% गाँवों में पाँच किलोमीटर की परिधि में बीसी आउटलेट उपलब्ध नहीं है। इन ब्लॉक्स में अधिकांश गाँवों की जनसंख्या 1000 से भी कम है, और यहां वित्तीय सेवाओं को पहूंचाना हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी प्रकार, अन्य 11 ब्लॉक्स में किए गए सर्वेक्षण में भी लगभग 27% गाँवों में यही स्थिति देखी गई। हमारा उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक गाँव को पाँच किलोमीटर की परिधि में बीसी आउटलेट की सुविधा उपलब्ध हो। इस अध्ययन के आधार पर, राजस्थान राज्य के सभी बैंकों को आवश्यक कदम उठाने के लिए आग्रह किया है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- डीएफएस वेबसाइट एवं जनसमर्थ पोर्टल पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार प्रत्येक गाँव में बीसी आउटलेट को दर्शाया गया है परंतु वास्तविकता में इनमें अनेक बीसी ग़ैर-कार्यशील (Inactive) हैं जो कि अधिकांश पेमेंट बैंकों से जुड़े हैं। परिणामस्वरूप वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता का मूल उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
- उन्होंने उल्लेख किया गया कि छोटे गाँवों में बीसी ढाँचा व्यवहारिक नहीं है, इसका सभी बैंकों को मूल्यांकन करने कि आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंक उन गाँवों के लिए अलग रणनीति अपनाएँ जहाँ जनसंख्या एवं वायबिलिटी भी कम है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- हमनें SLBC को आग्रह किया है कि वह एक एसी संरचना तैयार करे जिसके अंतर्गत राजस्थान के प्रत्येक गाँव को नज़दीकी सक्रिय बीसी तथा शाखा (ब्रिक एंड मॉर्टार ब्रांच) से मैप और मैच किया जा सके। इसके आधार पर प्रत्येक बैंक को SLBC के साथ परामर्श कर यह योजना प्रस्तुत करनी होगी कि वे किस गाँव मे कितने बीसी नियुक्त करेंगे। सभी बैंकों एवं SLBC राजस्थान से यह आग्रह है कि यह प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जानी अपेक्षित है, ताकि शेष सभी गाँवों मे सक्रिय बीसी सेवाओं को पहुँचाया जा सके।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं समस्त सदस्य बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने माननीय वित्तीय सेवाएँ विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सशक्त समिति की बैठक का संदर्भ लिया जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि बीसी का पारिश्रमिक निश्चित (फिक्स्ड) और परिवर्तनीय (वेरिएबल) दोनों घटकों में होना चाहिए एवं सभी बैंकों से यह आग्रह किया कि BCs के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक की प्रस्तावना पर विचार करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने आग्रह किया कि पेमेंट बैंकों एवं अन्य सभी बैंकों की औसत BC पारिश्रमिक की गणना पृथक रूप से की जाए जिससे BC पारिश्रमिक की सही स्थिति का मूल्याँकन किया जा सके।

प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने समिति को सूचित किया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित PMFME योजना मे DRP (District Resource Person) को नियुक्त करने का प्रावधान है। योजना के तहत, DRPs को उनके द्वारा सृजित खातों की स्वीकृति पर प्रत्येक खाते के लिए रु. 10,000 तथा उन खातों की औद्योगिक/व्यावसायिक इकाई के क्रियान्वित होनें पर अतिरिक्त रु. 10,000 प्रति खाते के अनुसार भुगतान किया जाता है। जो BCs वर्तमान मे सक्रिय है एवं उनकी न्यूनतम शिक्षा स्नातक है वे इस योजना मे DRP के लिए आवेदन कर सकते हैं।

<u>Agenda 8 - Atal Pension Yojna FY 2025-2026 upto 30.06.2025:</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि-

- वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु राज्य में APY के तहत कुल **7,06,550** नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.06.2025 तक **1,81,611 (26%)** नामांकन किए गए हैं।
- अटल पेंशन योजनान्तर्गत **एजेंसी-वार** उपलब्धि निम्नानुसार रही है-
- सार्वजनिक बैंक- 22%
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 47%
- स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 24%
- एचडीएफ़सी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक- 8%
- अन्य निजी बैंक- 24%
- सहकारी बैंक- 0%
- न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले निजी बैंकों से अनुरोध है कि चालू वित्तीय वर्ष में अग्रिम कार्यवाही करते हुए अटल पेंशन योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें।

(कार्यवाही: सभी निजी बैंक)

<u>Agenda 9 - वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान (Saturation Campaign) (01.07.2025 से 30.09.2025)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि-

- अभियान मे दिनांक 06.08.2025 तक राज्य मे कुल 10,108 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है. अभियान की उपलब्धि निम्नानुसार रही है-
    - कुल PMJDY खाते – 1,94,996
    - कुल PMJJBY नामांकन – 1,67,706
    - कुल PMSBY नामांकन – 3,13,136
    - कुल APY खाते – 34,828
    - सभी खातों में ReKYC – 3,32,943
    - कुल PMJJBY दावा निस्तारण – 283
    - कुल PMSBY दावा निस्तारण – 135

- सभी खातों मे नामांकन – 1,22,694

- अभियान मे 06.08.2025 तक न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले बैंक यथा रत्नाकर बैंक, केथोलिक सीरियन बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, आईडीबीआई बैंक एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से अनुरोध है कि उचित कार्ययोजना बनाकर अभियान को सफल बनाने हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: रत्नाकर बैंक, केथोलिक सीरियन बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, आईडीबीआई बैंक एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक)

- अभियान मे 06.08.2025 तक न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले जिला यथा खेरथल तिजारा, डीग, सीकर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, डीडवाना कूचामन, सिरोही, जालोर एवं राजसमंद के अग्रणी जिला प्रबंधकों से अनुरोध है कि उचित कार्ययोजना बनाकर अभियान को सफल बनाने हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: सभी अग्रणी जिला बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी अग्रणी बैंकों से आग्रह किया कि जिन शिविरों मे प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, वहां वे अपने LDMs (Lead District Managers) से अभियान में प्रदर्शन के सुधार के लिए नियमित अंतराल पर सीधे संवाद करें।

(कार्यवाही: सभी अग्रणी जिला बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को सूचित किया कि पिछले सप्ताह, माननीय प्रधानमंत्री ने वाराणसी में संबोधन के दौरान वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया और संतृप्ति अभियान को सभी 55.58 करोड़ PMJDY खाता धारकों के लिए बड़ी सफलता के साथ सम्पन्न करने की सलाह दी। माननीय प्रधानमंत्री ने यह अपेक्षा व्यक्त की है कि सभी शाखाओं और कर्मचारियों वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें एवं सभी ग्राम पंचायतों में ग्राहकों को सैचुरेट करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उप महा प्रबन्धक , भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि-

- उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि अभियान मे RBI के द्वारा साझा किए गए SOP के अनुसार कैंप से पहले, दौरान और बाद की स्पष्ट योजना बनाना आवश्यक है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाएँ पहुँचाना है, जहाँ पर शाखा तक पहुँचने में ग्रामीण व्यक्ति को पूरा दिन और रु. 400–500 की दैनिक मजदूरी गंवानी पड़ती है। इसलिए आवश्यक है कि कैंप की पूर्व सूचना समय पर दी जाए ताकि ग्रामीण अपने गाँव में ही सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
- प्रायः कैंप नोडल शाखाओं द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें अन्य बैंकों की शाखाओं के ग्राहक भी आते हैं। इसलिए यह सभी बैंकों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि क्षेत्र में आयोजित किसी भी कैंप में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
- उन्होंने समिति को अवगत कराया कि आरबीआई के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण में पाया गया है कि कई बैंक अधिकारी एवं प्रतिनिधि कैंपों में शामिल हुए, लेकिन कुछ स्थानों पर वे सभी केवल प्रारंभ में उपस्थित रहे और थोड़ी देर बाद कैंप खाली हो गया। आरबीआई ने इसे गंभीर विषय माना एवं इसकी जानकारी उसी दिन संबंधित बैंकों के राज्य प्रमुखों को भेजी गई। अत: सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों से अनुरोध है कि प्रत्येक बैंक SOP के अनुसार शिविर आयोजित करें और शिविरों के आकस्मिक निरीक्षण के द्वारा शाखाओं के प्रतिनिधियों की सतत उपस्थिति व कैंप संचालन सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- राजस्थान सरकार से आग्रह किया कि वह अपनी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को SMS के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध कराए कि योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त करने हेतु लाभार्थी इस अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों अथवा नजदीकी बैंक शाखा में जाकर अवश्य Re-KYC कराएँ।

(कार्यवाही: आयोजन विभाग, राजस्थान सरकार)

संयुक्त सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत कराया कि – वित्तीय सेवाएं विभाग ने इस अभियान में Urban Local Bodies को भी शामिल किया है और विभाग की ओर से इसकी जानकारी सभी कलेक्टर्स को दी जा चुकी है। अतः सभी बैंकों से शहरी क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देने का आग्रह है। साथ ही, यह भी अनुरोध किया गया कि कैंप की जानकारी पंचायत स्तर पर सरपंच को कम से कम एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगो को कैंप का लाभ दिलाया जा सकें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत कराया कि राज्य सरकार भी समय-समय पर विभिन्न कैंप आयोजित करती है, जैसे हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया गया था तथा सितंबर और अक्टूबर 2025 माह में गाँव चलो अभियान भी संभावित है। आयोजना विभाग एवं सभी बैंकों के सहयोग से इन कैंपों में भी वही सभी कार्य किए जा सकते हैं, जो इस संतृप्ति अभियान के अंतर्गत किए जा रहे हैं।

(कार्यवाही: आयोजन विभाग, राजस्थान सरकार एवं समस्त सदस्य बैंक)

<u>Agenda 10 - Property Cards issued under Svamitva Scheme</u>

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को अवगत करवाया कि- स्वामित्व योजना के अंतर्गत कुल **12,11,513** प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये सभी प्रॉपर्टी कार्ड बंधक योग्य (**mortgageable)** एवं बैंक योग्य (**bankable)** हैं**,** जो बैंकों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत कार्य केवल दो ज़िलों – जयपुर और चित्तौड़गढ़ में प्रारंभ हुआ है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>Agenda 11 - National Rural Livelihood Mission (NRLM)</u>

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत **1,10,190** खातों में **रु 2,680 करोड़** का ऋण वितरण करने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.06.2025 तक **36,298 खातों (32.94%)** में **रु 457.18 करोड़ (17.06%)** का ऋण वितरण किया गया है।

राज्य परियोजना निदेशक, राजीविका, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करे हुए कहा कि-

- योजना में क्लेम सेटलमेंट का प्रस्ताव जॉइंट सेक्रेटरी (स्किल्स) को भेजा जा चुका है और इसमे 2023-24 और 2025-2026 के लंबित क्लैम एवं कुछ प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं।
- उन्होने समिति को अवगत कराया कि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कि अध्यक्षता मे हुई बैठक मे एसएचजी क्रेडिट लिंकेज को लेकर मुख्यत: निम्नलिखित चार बिंदुओं पर चर्चा हुई-
    1. महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) क्रेडिट लिंकेज को बढ़ाने पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। एनआरएलएम पोर्टल के अनुसार वर्तमान में लक्ष्य के मुकाबले ऋण वितरण काफी कम है। आंकड़ों के अनुसार अभी तक केवल तीन बैंको ने ही 50% वितरण के लक्ष्यों को प्राप्त किया है, जबकि कई बैंकों का प्रदर्शन 0% पर है। यह स्थिति चिंताजनक है इसलिए सभी बैंकों को आग्रह किया कि प्रदर्शन मे सुधार कर लक्ष्यों को प्राप्त करें।
    2. आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार प्रथम ऋण 1.5 लाख रुपये और द्वितीय ऋण 3 लाख रुपये का होना चाहिए। परंतु राजस्थान में देखा गया है कि ऋण की राशि लगभग 90,000 रुपये से 1.44 लाख रुपये तक ही सीमित है। यह राशि अपेक्षाकृत कम है, जिससे औसत ऋण भी कम हो रहा है। राजस्थान में वर्तमान समय में 10,000 से अधिक आवेदन लंबित हैं एवं इन विषयों को माननीय मंत्री जी ने भी रेखांकित किया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने भी इन पर चिंता व्यक्त की है।
    3. उद्यमिता वित्तपोषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसके नियमानुसार न्यूनतम 75,000 रुपये का ऋण दिया जाना अपेक्षित है, लेकिन राजस्थान में यह राशि प्रदान नहीं की जा रही है। वर्तमान

में इस श्रेणी में 1,600 से अधिक आवेदन लंबित हैं। यह एक चिंता का विषय है और इस पेंडेंसी को कम करने के लिए सभी बैंकों को प्रयास करने होंगे।

4. बचत खातों की अधिक पेंडेंसी जो कि वर्तमान में 3,700 से भी अधिक हैं यह एक चिंता का विषय है और इनमें सर्वाधिक लंबित मामले श्रीगंगानगर ज़िले में हैं। इस दिशा में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक श्रीगंगानगर)

- RSETI की मॉनिटरिंग के संदर्भ में विभाग नियमित रूप से बैंकों के संपर्क में हैं और ज़िला कलेक्टरों से भी भूमि आवंटन संबंधी मामलों पर लगातार संवाद चल रहा हैं। जहाँ भी कोई समस्या है, वहाँ अपेक्षित है कि लीड बैंक जिला परियोजना प्रबंधक के साथ समन्वय बनाए और आवश्यकता पड़ने पर सीधे विभाग से संपर्क करे, ताकि इन मुद्दों का समाधान शीघ्रता से किया जा सकें।

(कार्यवाही: सभी अग्रणी जिला प्रबंधक)

उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि योजनाओं के लंबित आवेदन एवं लंबित बचत खातों से संबंधित आंकड़े नियमित अंतराल पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को उपलब्ध कराएं ताकि योजना में प्रगति की समीक्षा की जा सके।

(कार्यवाही: राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार)

Agenda 12: Performance under Govt. Sponsored Programmes during FY 2025-2026

Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में योजनान्तर्गत दिनांक 21.07.2025 तक बैंकों द्वारा रु 55.55 करोड़ मार्जिन मनी क्लेम किया गया है। उन्होने KVIC विभाग, भारत सरकार से अनुरोध किया कि विभाग के पास लंबित बैंकों के मार्जिन मनी क्लेम का शीघ्र निस्तारण करवाया जाए।

(कार्यवाही: खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार)

PMFME Scheme

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि-

- दिनांक 31.07.2025 तक PMFME के तहत एजेंसी-वार प्रगति निम्नानुसार रही है:
- सार्वजनिक क्षेत्र बैंक- 18.70%
- निजी बैंक- 13.19%
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 8.49%
- सहकारी बैंक- 12.30%
- स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 8.44%
- कुल- 15.71%
- उन्होने सभी बैंक से PMFME के तहत लंबित आवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण करते हुए, शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

उप महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि दिनांक 30.06.2025 तक AIF के तहत एजेंसी-वार प्रगति निम्नानुसार रही है:

- सार्वजनिक क्षेत्र बैंक- 9.05%
- निजी बैंक- 1.88%
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 0.67%

- सहकारी बैंक- 0.00%
- स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 0.00%
- कुल- 5.72%

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से AIF योजनान्तर्गत लक्ष्यों के अनुरूप अधिक से अधिक आवेदन बैंकों को अग्रेषित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>Pradhan Mantri Mudra Yojna:</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि-

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 30.06.2025 तक **2,57,699** खातों में **रु 3,885.02 करोड़** का ऋण वितरण रिपोर्ट किया गया है। एजेंसी-वार प्रगति निम्नानुसार रही है-
    - सार्वजनिक क्षेत्र बैंक- 38,240 खातों में रु 1462.54 करोड़
    - निजी बैंक- 1,51,730 खातों में रु 1,636.51 करोड़
    - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 21,017 खातों में रु 507.92 करोड़
    - स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 46,712 खातों में रु 278.05 करोड़
- उक्त योजनान्तर्गत श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार रही है :
- शिशु: 92673 खातों में रु 364.51 करोड़
- किशोर: 157460 खातों में रु 2229.46 करोड़
- तरुण: 15484 खातों में रु 1238.21 करोड़
- तरुण प्लस: 341 खातों में रु 52.84 करोड़
- योजनान्तर्गत सभी बैंकों से अनुरोध है कि चालू वित्तीय वर्ष में उचित कार्ययोजना बनाकर PMMY के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>PM Vishwakarma Yojana</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि-

- पीएम विश्वकर्मा योजनान्तर्गत बैंकों को 1,72,078 ऋण आवेदन अग्रेषित किए गए हैं जिसके सापेक्ष रु 430.29 करोड़ के 63,712 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं एवं रु 382.80 करोड़ के 44,207 आवेदनों में ऋण वितरण किया गया है। 2834 आवेदन निस्तारण हेतु लंबित हैं एवं 1,05,532 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है जो अग्रेषित आवेदनों का क्रमशः 1.65% एवं 61.33% है।
- विभाग से गुणवत्तापूर्ण आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण बैंक अधिकारियों द्वारा फील्ड विज़िट के दौरान पाया जाता है कि आवेदन में सूचित किया गया ट्रेड एवं वास्तविकता में किया जा रहा ट्रेड भिन्न हैं जिसके कारण आवेदन को अस्वीकृत करना पड़ता है। फलस्वरूप, आवेदन निरस्तीकरण अनुपात बढ़ जाता है। अतः विभाग से अनुरोध है कि गुणवत्तापूर्ण आवेदन ही बैंकों को अग्रेषित करें।

(कार्यवाही: उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजनान्तर्गत बैंकों से अत्यधिक आवेदन निरस्तीकरण को सुधारने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयुक्त निदेशक, एमएसएमई विभाग, भारत सरकार ने बैंकों से अनुरोध किया कि योजनान्तर्गत जो आवेदन बैंकों के द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं उनमें स्वीकृत राशि का वितरण किया जाए एवं जो आवेदन काफी पुराने है उनमें निर्णय लेकर निस्तारित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna (PMSGMBY)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि PMSGMBY के तहत दिनांक 30.06.2025 तक बैंकों को प्राप्त **51,458** आवेदनों में से **रु 442.92 करोड़** के **27,968** आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमे से **25,374** आवेदनों में **रु 400.06 करोड़** का ऋण वितरण किया गया है। बैंकों के पास **6,560** आवेदन निस्तारण हेतु लंबित हैं एवं **16,411** आवेदनों निरस्त कर दिये गए हैं।

Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि-

- MNSUPY के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 मे दिनांक 30.06.2025 तक 1,200 के लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों को प्राप्त **1,065** आवेदनों में से **169** आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमे से **97** आवेदनों में ऋण वितरण किया गया है। बैंकों के पास 14 दिन, 30 दिन एवं 90 दिनों से अधिक क्रमशः 124, 255 एवं 4,142 आवेदन मिलाकर कुल 4,521 आवेदन लंबित हैं।
- MNSUPY योजनान्तर्गत बैंकों से अनुरोध है कि लंबित आवेदनों का निस्तारण कर प्रदर्शन में सुधार करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि-

- बैंकों को प्रेषित किए गए आवेदनों कि अपडेटेड संख्या लगभग 1,900 है। पिछले सप्ताह बड़ी संख्या में आवेदन अग्रेषित किए गए थे। बैंकों के द्वारा स्वीकृति का प्रतिशत केवल 8% है। अत: सभी बैंकों से अनुरोध है कि स्वीकृति पूरे वर्ष में समान रूप से सुनिश्चित की जाए, इसे वर्ष की अंतिम तिमाही तक न टाला जाए।
- वर्तमान में कुछ ही बैंक सक्रिय योगदान दे रहे हैं, जबकि अधिकांश बैंकों की भागीदारी बहुत कम है। इसी प्रकार प्रगति भी केवल चुनिंदा जिलों तक सीमित है, शेष जिलों में संतोषजनक प्रगति नहीं है।
- आवेदनों की अस्वीकृति के कारण अक्सर अत्यंत संक्षिप्त रूप से लिखे जाते हैं, जैसे केवल "Not Viable"। ऐसे कारणों को विस्तृत रूप में दर्ज किया जाए, जिससे वास्तविक समस्या को समझकर समाधान किया जा सके।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक एवं समस्त सदस्य बैंक)

संयुक्त निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने बैंकों से अनुरोध किया कि- सभी बैंक योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि SLBC के स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि आगामी माह से बैंक-वार समीक्षा बैठक प्रारम्भ की जाएगी। इन बैठकों में सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी तथा उक्त योजना भी समीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित की जाएगी।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुरोध किया कि- योजनान्तर्गत बैंकों में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों की संख्या काफी अधिक है। अत: सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि इन लंबित आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करें तथा लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana-2022 (BRUPY)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि-

- BRUPY के तहत **2,000** के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 30.06.2025 तक बैंकों को प्राप्त **972** आवेदनों में से **265** आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमे से **204** आवेदनों में ऋण वितरण किया गया है एवं **2,356** आवेदन निस्तारण हेतु लंबित हैं।
- योजनान्तर्गत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले बैंको यथा यस बैंक (0%), कोटेक महिंद्रा बैंक (0%), पंजाब एण्ड सिंध बैंक (0%), एचडीएफ़सी बैंक(1.41%), इंडियन ओवरसीज बैंक(2.86%) एवं बैंक ऑफ महराष्ट्र (2.86%) से चालू वित्तीय वर्ष में प्रदर्शन में वांछित सुधार करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: यस बैंक, कोटेक महिंद्रा बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं बैंक ऑफ महराष्ट्र)

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना (CM SVANidhi Yojana)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को मुख्यमंत्री SVANidhi योजना के संबंध में जानकारी दी- उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर CGTMSE गारंटी कवर उपलब्ध कराना आवश्यक है। चूँकि इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण प्रायः लघु ऋण श्रेणी में आते हैं, अतः प्रत्येक ऋण हेतु अलग-अलग CGPAN उत्पन्न करना व्यवहारिक नहीं है और इस कारण पीएम विश्वकर्मा योजना की तर्ज पर जो योजना में वर्णित भी किया है, पोर्टफोलियो स्तर पर CGTMSE कवर उपलब्ध कराना आवश्यक है। अभी तक विभाग एवं CGTMSE के बीच कोई एम.ओ.यू. (MoU) निष्पादित नहीं हुआ है, जिसके कारण बैंकों को योजना हेतु स्कीम कोड बनाने में कठिनाई हो रही है। इस विषय में सचिव (LSG) को पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री SVANidhi योजना में पोर्टफोलियो कवरेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने संबंधित विभाग से अनुरोध किया गया कि CGTMSE कवर से जुड़ी समस्या पर शीघ्र कार्यवाही कर समाधान किया जाए, अन्यथा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

SVANidhi se Samriddhi

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि- स्वनिधि से समृद्धि योजना मे दिनांक 01 अगस्त 2025 तक कुल 181967 लाभार्थी 173 शहरी स्थानीय निकाय में चिन्हित किए गए हैं। योजना-वार प्रगति निम्नानुसार है:-

- PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: 1,17,299 पात्र लाभार्थियों में से 37,080 ने आवेदन किया तथा 32,710 को स्वीकृति मिली। प्रगति 27.89%।
- PM Suraksha Bima Yojana: 1,57,223 पात्र लाभार्थियों में से 49,149 ने आवेदन किया तथा 42,481 को स्वीकृति मिली। प्रगति 27.02%।
- PM Jan Dhan Yojana: 20,904 पात्र लाभार्थियों में से 5,316 ने आवेदन किया तथा 4,643 को स्वीकृति मिली। प्रगति 22.21%।

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि योजनाओं में लंबित मामलों पर शीघ्र कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agenda 13 - Sector wise & District-wise NPA Position as on 30 June, 2025

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- राज्य में क्षेत्र वार NPA की 30 जून 2025 तक की स्थिति निम्नानुसार है-
- कुल एनपीए- रु 23,306 करोड़

- कृषि क्षेत्र- रु 14,065 करोड़
- एमएसएमई क्षेत्र- रु 4,286 करोड़
- अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- रु 922 करोड़
- कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- रु 19,273 करोड़

➢ कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मे एनपीए का क्षेत्र वार योगदान निम्नानुसार है-
- कुल कृषि क्षेत्र- 72.98%
- कुल एमएसएमई क्षेत्र- 22.24%
- कुल अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 4.78%

➢ कृषि NPA, MSME NPA, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र NPA में जून 2024 के सापेक्ष क्रमशः 0.26%, 0.69%, 0.20% एवं 0.62% की कमी आई है किंतु कुल NPA में 1.00% की वृद्धि हुई है।

➢ बांसवाड़ा (3.88%), भरतपुर (4.94%), बूंदी (3.35%), डीग (14.39%), धौलपुर (9.86%), करौली (6.67%), फलौदी (7.75%), सवाई माधोपुर (6.31%) एवं दौसा (3.67%) जिलों में NPA प्रतिशत अत्यधिक है। संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि उक्त जिलों में NPA प्रतिशत कम करने हेतु संबन्धित बैंकों के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा राष्ट्रिय लोक अदालतों का प्रभावी उपयोग करें।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, बांसवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, डीग, धौलपुर, करौली, फलौदी, सवाई माधोपुर एवं दौसा)

Agenda 14 - Education Loan

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि राज्य में बैंकों द्वारा वर्ष 2025-2026 में जून 2025 तिमाही तक **6,345** छात्रों को **रू 198.81 करोड़** के शिक्षा ऋण वितरित किए गए हैं एवं दिनांक 30.06.2025 तक **46,750** खातों में **रु 3528.67 करोड़** की राशि बकाया है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर लंबित सभी आवेदनों का निस्तारण अविलंब करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agenda 15 - Support required from State Government

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत किया कि निम्न बिंदुओं पर राज्य सरकार से सहयोग अपेक्षित है-

➢ **ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग एवं राजस्व विभाग से सहयोग अपेक्षित-**
- भरतपुर (पीएनबी) व जालोर (एसबीआई) में RSETI भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन से संबन्धित सभी मुद्दे।
- RSETI अलवर के लिए ग्राम टोडीयर में भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय से आवंटन हेतु राजस्व विभाग को भेजे गए पत्र पर निर्णय।
- RSETI चित्तौडगढ़ में भूमि आवंटन हेतु भूमि चिन्हित की गयी है मगर पूर्व में जो आवंटन हुआ उसे पहले निरस्त करने का निर्णय।
- पाली RSETI के संबंध मे नियमन शुल्क/ भूमि आवंटन राशि माफ करने हेतु राजस्व विभाग के पास लंबित प्रस्ताव पर निर्णय।
- डूंगरपुर व सिरोही जिलों में RSETI भवनों के निर्माण के बाद ज़िला प्रशासन द्वारा AG ऑडिट में विभिन्न प्रभारों (क्रमश: राशि रु. 58930/- व रु. 859320/- रुपये की वसूली से संबन्धित मुद्दे।

- आयोजना विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2024 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में RSETI भूमि आवंटन संबंधी डिमांड राशि के निस्तारण हेतु विभिन्न विभागों एवं संबन्धित जिला कलक्टर के साथ बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में सभी मुद्दों को एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही / निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था जो आज दिनांक तक भी लंबित है।
- इस संबंध में दिनांक 05.05.2025 को एसएलबीसी द्वारा मुख्य सचिव महोदय को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि उक्त लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबन्धित विभाग को निर्देश प्रदान करें।
- एसएलबीसी द्वारा ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग एवं राजस्व विभाग से अनुरोध है कि RSETI के संबन्धित भूमि आवंटन प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबन्धित विभाग को निर्देश प्रदान करें जिसका उत्तर प्रतीक्षित है।

➢ **राजस्व विभाग से सहयोग अपेक्षित-**

- **<u>Amendment in PDR Act</u>** <u>1952</u>

- **PDR Act** 1952 में संशोधन कर विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल करना।
- विभिन्न राज्यों यथा उड़ीसा गुजरात उत्तर प्रदेश इत्यादि में भी उक्त अधिनियम में विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल किया गया है व एसएलबीसी द्वारा उक्त राज्यों के पीडीआर अधिनियम की प्रतिलिपि राजस्व विभाग को प्रेषित की गई है।
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा पत्र दिनांक 15.04.2025 के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार से इस हेतु पुनः अनुरोध किया गया है। साथ ही पत्र दिनांक 05.05.2025 के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय से **PDR Act** में संशोधन की कार्यवाही करवाने हेतु अनुरोध किया है।
- राजस्व विभाग राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 28.04.2025 के माध्यम से सूचित किया है कि **PDR Act**1952 में बकाया ऋणों की बैंक द्वारा वसूली किए जाने के संबंध में दिये गए संशोधन का पूर्ण परीक्षण किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार बैंकों के पार बकाया ऋणों की वसूली किए जाने हेतु पर्याप्त वित्तीय एवं विधिक उपचार उपलब्ध हैं।

- **RACO RODA & SARFAESI Act**

- प्रकरण बकाया दिनांक 30.06.2025 तक
  - **RACO RODA** **-** 166245 **Cases Amt. ₹.** 3877.04 **Cr.**
  - **SARFAESI Act** **-** 1725 **Cases Amt. ₹.** 277.45 **Cr.**
- विभिन्न जिलों में **SDM/**तहसीलदार द्वारा राको-रोडा के मौजूदा केसों में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है एवं नए केस काफी कम संख्या में स्वीकार किए जा रहे हैं।
- डीसीसी/ डीएलआरसी की बैठक जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की जाती है। वसूली प्रकरणों में राको-रोडा अधिनियम 1974 के तहत बैंकों को आने वाली समस्याओं के मुद्दों पर जब चर्चा की जाती है तब ज़िला कलक्टर कार्यालय से मात्र यह आश्वासन मिलता है कि इस मुद्दे को उच्च स्तर तक अग्रेषित किया जाएगा किन्तु इसके उपरांत कोई कार्यवाही अथवा प्रगति नहीं होती है।
- **BLBC** बैठकों में जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चयनात्मक भागीदारी की जाती है कई एसडीएम/ तहसीलदार अनुपस्थित रहते हैं। यदि एसडीएम/तहसीलदार उपस्थित होते हैं तो भी मात्र आश्वासन दिये जाते हैं।
- एसएलबीसी ने पत्र दिनांक 05.05.2025 के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय को भी राको-रोडा एवं सरफेसी के तहत लंबित मुद्दों के निस्तारण के संबंध में अनुरोध किया है।
- राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त पर आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि बैंकों का साख विस्तार करने में विश्वास बना रहे।

- **नामांतरण के बाद संबंधित राजस्व भूमि रिकॉर्ड में जानकारी अपडेट करने से संबन्धित**:

- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जयपुर के क्षेत्रीय प्रमुख ने सूचित किया है कि जो ऋण चोमू हाउस जयपुर शाखा द्वारा टोंक जिले में कृषि भूमि के होटल निर्माण के लिए एमएलयूपीवाई योजना के तहत स्वीकृत किया गया था उसमें भूमि के परिवर्तन के बाद संबंधित राजस्व भूमि रिकॉर्ड में अपडेट करने की शर्त लिखी गई थी। लेकिन कलेक्टर कार्यालय ने राजस्थान सरकार के 22.07.2024 के पत्र का हवाला देते हुए नामांतरण के बाद जानकारी अपडेट करने में असहमति व्यक्त की है जिसके कारण विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत बैंक ग्राहक को ऋण वितरण पेंडिंग है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने पत्र दिनांक 23.04.2025 के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान करवाने एवं मार्गदर्शन करने हेतु प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग भारत सरकार से अनुरोध किया है एवं इसकी प्रतिलिपि संयुक्त शासन सचिव आयोजना विभाग को भी प्रदान की है। राज्य सरकार से पुन: अनुरोध है कि उक्त प्रकरणों पर संज्ञान लेकर बैंकों को सूचित करावें।

➢ **पंजीयन और मुद्रांक विभाग से सहयोग अपेक्षित-**

- **राजस्थान वित्त अधिनियम 2024 के अनुसार ऋण की स्वीकृति पर स्टांप ड्यूटी में वृद्धि:**

- एसएलबीसी 23.12.2024 को पंजाब नेशनल बैंक के उप क्षेत्रीय प्रबंधक प्राथमिकता क्षेत्र और वित्तीय समावेशन विभाग जयपुर कार्यालय से और 23.12.2024 को कैनरा बैंक के महाप्रबंधक और सर्कल प्रमुख जयपुर से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें ऋण की स्वीकृति (बैलेंस कंफर्मेशन लेटर) पर स्टांप ड्यूटी में वृद्धि को लेकर चिंता व्यक्त की गई है जो पहले 10 रुपये थी अब 500 रुपये हो गई है। एसएलबीसी द्वारा इस मामले के समाधान के लिए 01.01.2025 को पंजीयन और मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक **GoR** को पत्र के माध्यम से सूचित किया है जिसके जवाब में विभाग द्वारा सूचित किया गया कि राजस्थान स्टांप अधिनियम 1988 की धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत स्टांप ड्यूटी को कम करने हेतु राज्य सरकार ही सक्षम है। एसएलबीसी ने पत्र दिनांक 05.05.2025 के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय से स्टांप ड्यूटी कम करवाने हेतु अनुरोध किया है। राज्य सरकार से पुन: अनुरोध है कि स्टांप ड्यूटी को कम करने हेतु निर्णय लें ताकि राज्य के किसानों, छोटे व्यापारियों सहित सभी कमजोर वर्ग के लोगों को राहत मिल सके।

➢ **राजीविका विभाग से सहयोग अपेक्षित-**

- **Pending SRLM Claim:**

- राजीविका विभाग से अनुरोध है कि आर-सेटी द्वारा **NRLM** लक्ष्य समूह के अभ्यर्थियों पर किए गए खर्चों की प्रतिपूरी के क्लेम का निस्तारण कर क्लेम राशि बैंकों को प्रदान करें। 31 मार्च 2025 तक **₹** 79.45 करोड़ के **SRLM** क्लेम लंबित हैं। विभाग से अनुरोध है के इन क्लेम का निस्तारण कर राशि संबन्धित बैंकों को प्रदान करें।

Agenda 16 - e-Negotiable Warehouse Receipt (e-NWR)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंकों से अधिक-से-अधिक पात्र किसानों को e-KUN (ई-किसान उपज निधि) और CGS-NPF (credit guarantee scheme for e-NWR based pledge financing) के तहत e-NWR के विरुद्ध pledge finance प्रदान करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agenda 17 - District wise Vacancy in FLCs

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को राज्य में FLCs के रिक्त पदों की सूचना दी।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीसी संयोजक बैंकों व राजस्थान ग्रामीण बैंक से अनुरोध किया कि सभी रिक्त पदों पर अतिशीघ्र नियुक्ति करें।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एवं राजस्थान ग्रामीण बैंक)

Agenda 18: Bankwise & Districtwise Ranking Under Govt. Schemes & FI Parameters

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि सरकारी योजनाओं एवं वित्तीय समावेशन मापदण्डों के आधार पर निम्नलिखित बैंक व जिलों ने प्रथम तीन स्थान उपलब्ध किया हैं-

स्थान	**बैंक**	**ज़िला**
प्रथम	इंडियन ओवरसीज बैंक	दौसा
द्वितीय	एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक	सीकर
तृतीय	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	जयपुर

मुख्य सचिव महोदय ने बैंकों को प्रशष्ति प्रमाण पत्र देते हुए भविष्य में भी अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित किया।

पुलिस अधीक्षक साइबर अपराध, राजस्थान सरकार ने बताया कि -

- वर्ष 2024 के प्रथम छह माह में साइबर अपराध से रु. 360 करोड़ की हानि हुई थी, जबकि वर्ष 2025 के प्रथम छह माह में यह हानि घटकर रु. 328 करोड़ रह गई है जो कि सुधारात्मक संकेत है। साइबर हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रूप से कार्यरत है, जिसके माध्यम से स्थानीय जनता से सीधा संवाद स्थापित हो रहा है।
- उन्होंने बैंकों से मिल रहे सहयोग की सराहना की एवं बताया कि विशेष रूप से मनी म्यूल खातों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने सभी बैंकों से आगामी छह माह में भी इसी प्रकार के समन्वित प्रयासों को जारी रखने का आग्रह किया, जिससे साइबर अपराध पर और अधिक प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो तथा आम जनता के धन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- उनके द्वारा सभी बैंकों से यह अपेक्षा व्यक्त की गई कि वर्तमान में चल रहे भारत सरकार के वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान में सभी बैंक अपनी शाखाओं को री-केवाईसी (Re-KYC) के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित करें, ताकि मनी म्यूल खातों के दुरुपयोग को और कम किया जा सके।
- उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड के मामलों में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएँ मुख्यतः 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के साथ अधिक हो रही हैं। इस संदर्भ में सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे अपनी शाखाओं को उचित रूप से मार्गदर्शन करें, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के साथ अतिरिक्त सावधानी बरती जा सके। विशेष रूप से, जब कोई वरिष्ठ नागरिक शाखा में आकर अपनी सावधि जमा को समय से पूर्व बंद करने का अनुरोध करे, तो उसकी वास्तविकता एवं सही पृष्ठभूमि की जाँच बैंक शाखा के अधिकारी द्वारा की जाए।

- **(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि आरबीआई के द्वारा राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के साइबर फ्रॉड मामलों का जिला-वार अध्ययन किया गया है एवं इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि किन जिलों में पीड़ितों की संख्या अधिक है। इसके आधार पर सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि जहाँ पीड़ित ग्राहकों की अधिक संख्या है, वहाँ विशेष रूप से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। इन कार्यक्रमों में विशेष ध्यान यूपीआई (UPI) और डेबिट कार्ड लेनदेन पर केंद्रित किया जाए, क्योंकि इन माध्यमों से धोखाधड़ी की संभावना अधिक पाई गई है। यह अध्ययन शीघ्र ही एसएलबीसी (SLBC) के माध्यम से साझा किया जाएगा।

- **(कार्यवाही: भारतीय रिजर्व बैंक)**

उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक तथा अन्य सभी विभागों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन किया।